

LAW

विधि

PAPER—I

प्रश्न-पत्र—I

Full Marks : 200

Time : 3 hours

पूर्णांक : 200

समय : 3 घण्टे

The figures in the margin indicate full marks

हाशिये में पूर्णांक दिए गए हैं

Candidates are required to answer **five** questions in which Question No. 1 is compulsory

परीक्षार्थियों को पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है

1. Briefly answer any *four* of the following (word limit 200 for each) : $10 \times 4 = 40$

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के संक्षेप में उत्तर दीजिये (प्रत्येक के लिए शब्द सीमा 200 है) :

(a) Preamble to the Constitution
संविधान की प्रस्तावना

(b) Fundamental Duties
मौलिक कर्तव्य

(c) Constitutional position of the Prime Minister
प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति

(d) Audit alteram partem
'दूसरे पक्ष को सुनो' का सिद्धान्त

(e) Writ of certiorari
उत्प्रेषण-लेख

(f) Importance of precedent as a source of law
पूर्विका का विधि के स्रोत के रूप में महत्त्व

(g) Ignorance of law is no excuse
विधि की अनभिज्ञता दायित्व मुक्ति का उचित कारण नहीं

(h) Doctrine of postliminium
पूर्वावस्था का सिद्धान्त

2. (a) Fundamental Rights are the rights of the individual and the Directive Principles are the rights of the society. Explain in detail. 20

मूल अधिकार व्यक्ति से जुड़े अधिकार हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व (सिद्धांत) का सम्बन्ध समाज के अधिकारों से है। विस्तृत रूप से समझाइये।

(b) Discuss the administrative relations between the Union and the State under the Constitution of India. 20

भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य के बीच प्रशासकीय सम्बन्धों की विवेचना कीजिये।

(b) What do you understand by 'neutrality'?

What is the rational basis of neutrality? Explain different kinds of neutrality and distinguish between them.

20

'तटस्थता' से आप क्या समझते हैं? तटस्थता का उचित आधार क्या है? तटस्थता के विभिन्न प्रकार तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये।

- (b) Critically evaluate the objects, principles and role of United Nations Organisation in the present international scenario. 20

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं उपयोगिता का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये।

9. (a) Discuss the privileges and immunities of the diplomatic agents. What is the basis of these immunities? Explain. 20

राजनयिकों को प्राप्त विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों का उल्लेख कीजिये। इन उन्मुक्तियों का आधार क्या है? समझाइये।

- (b) What is the relation between Municipal Law and International Law? Explain the provisions of the Constitution of India regarding International Law. 20

राष्ट्रीय विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि में परस्पर क्या सम्बन्ध है? अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के प्रावधानों को समझाइये।

10. (a) Define 'treaty' and explain the concepts of 'Pacta sunt servanda' and 'Clausula rebus sic stantibus'. 20

'संधि' की परिभाषा दीजिये एवं 'पेक्टा सन्ट सर्वेंडा' और 'क्लाजुला रीबस सिक स्टैंटिबस' संकल्पना की व्याख्या कीजिये।

3. (a) "No person shall be deprived of his property saved by the authority of law." Explain. 20

"कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकारों के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।" समझाइये।

- (b) Explain the procedure to amend the Constitution of India. Is there any limitation on the amending powers of the Parliament of India? 20

भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को समझाइये। क्या भारतीय संसद को संशोधन करने की शक्तियों पर कोई पाबन्दी है?

4. (a) Critically evaluate the constitutional provisions and the parameters laid down by the Supreme Court of India in various cases relating to imposition of President's Rule in States. 20

राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।

- (b) Critically analyze the powers, privileges and immunities of the members of the Parliament. Can these privileges override the Fundamental Rights? 20

संसद के सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। क्या ये विशेषाधिकार मूल अधिकारों से उच्चतर हैं?

5. (a) Explain the theory of separation of powers given by Montague. Discuss why the separation of power is essential for a healthy administration. 20

मोन्टेग्यू के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइये। यह बतलाइये कि एक स्वस्थ प्रशासन के लिए शक्ति का पृथक्करण क्यों आवश्यक है।

- (b) What are various modes of control exercised over delegated legislation? Are they adequate enough? Discuss the judicial control over delegated legislation in India. 20

प्रत्ययोजित विधान पर नियंत्रण के कौन-से विभिन्न प्रकार हैं? क्या ये पर्याप्त हैं? प्रत्ययोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण की भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिये।

6. (a) What do you understand by natural justice? Discuss the following two principles of natural justice : 20

प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक न्याय के निम्न दो सिद्धान्तों को समझाइये :

- (i) One who hears must decide
जो वाद सुनता है, उसे ही निर्णय देना चाहिये
- (ii) One cannot be a judge in his own cause
कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता

- (b) Discuss the pure theory of law propounded by Kelsen. Discuss the relevancy of this theory in the present context. 20

केल्सन के द्वारा प्रतिपादित विधि के शुद्ध सिद्धान्त की विवेचना कीजिये। आज के संदर्भ में इस सिद्धान्त की सुसंगतता पर भी प्रकाश डालिये।

7. (a) "Ownership is a right indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration." Comment on this statement of Austin. 20

“स्वामित्व उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है।” ऑस्टिन के इस कथन की विवेचना कीजिये।

- (b) "Jurisprudence in the present setup is Lawyer's extraversion." Discuss the scope of jurisprudence with reference to this statement. 20

“विधिशास्त्र, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विधिवेत्ताओं की बहिर्गम दृष्टि है।” इस कथन के संदर्भ में विधिशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिये।

8. (a) Critically comment upon the theory of social solidarity propounded by Duguit. Is this theory relevant today? 20

डुग्यूट द्वारा प्रतिपादित सामाजिक एकता के सिद्धान्त पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। क्या यह सिद्धान्त आज प्रासंगिक है?